UPBN240001271999

Warrant case/102160/2004 (Delivered on 01-05-2026)

Presented on : 25-06-1999
Registered on : 25-06-1999
Decided on : 01-05-2026
Duration : 26 years, 10 months, 6 days

न्यायालयःःन्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान,जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीःःहरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)

आपराधिक परिवाद संख्याःः2160/2004

उत्तर प्रदेश सरकार

..वादी

1- धर्म सिंह पुत्र गंगावकस,(मृतक)
2- भोले पुत्र धर्मसिंह,
3- परशुराम पुत्र धर्म सिंह,(मृतक)
4- लक्ष्मन पुत्र किशुनलाल उर्फ केशो,
निवासीगण-मंगली की मड़ैया, औरंगाबाद, थाना-सहसवान, जिला-बदायूँ।

..अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-362/1998
अंतर्गत धारा-323/34,324/34,325/34,506(2) भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

अभियोजन पक्ष (विद्वान अभियोजन अधिकारी)-श्री प्रदीप कुमार सिंघल।
अभियुक्ता विद्वान अधिवक्ताः श्री अतर सिंह।

निर्णय

1- पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **भोले पुत्र धर्मसिंह, लक्ष्मन पुत्र किशुनलाल उर्फ केशो** द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म संस्वीकृति प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बल दिया व जुर्म संस्वीकृति की इच्छा व्यक्त की गयी। उनके जुर्म संस्वीकृति बयान अंकित किये गये। उन्होंने जुर्म संस्वीकृति का अभिकथन किया।

2- प्रश्नगत मामले के **अभियुक्तगण धर्मसिंह व परशुराम** की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही न्यायालय द्वारा पूर्व में उपशमित की जा चुकी है।

3- अभियोजन पक्ष को सुना।

4- अतः अभियुक्तगण **भोले पुत्र धर्मसिंह, लक्ष्मन पुत्र किशुनलाल उर्फ केशो** को **अंतर्गत धारा-323/34,324/34,325/34,506(2) भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में दोषसिद्ध पाया जाता है। दोषसिद्ध अभिरक्षा में है। उन्हें सजा के प्रश्न पर लंच उपरान्त सुना जायेगा। **पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।**

दिनांक:01-05-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
J.O.Code.UP.3676

लंच बाद

5- पत्रावली पुनः लंच उपरान्त पेश हुई। दोषसिद्धों को दण्ड के प्रश्न पर सुना

गया। उनका कहना है कि वह अत्यंत गरीब हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं।

6- मैंने दोषसिद्धों को दण्ड के प्रश्न पर सुन लिया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में दोषसिद्धों के विरूद्ध निम्नवत दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

प्रत्येक दोषसिद्ध **भोले पुत्र धर्मसिंह, लक्ष्मन पुत्र किशुनलाल उर्फ केशो** को **अंतर्गत धारा-323/34,324/34,325/34,506(2) भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप का दोषसिद्ध पाते हुए **उसे धारा-323/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 200/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का साधारण कारावास, धारा-324/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 200/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का कारावास, धारा-325/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 300/-रूपये अर्थदण्ड से व न्यायालय उठने तक की सजा से अथवा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन दिवस का साधारण कारावास एवं धारा-506(2) भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 100/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक दिवस का साधाराण कारावास (कुल अंकन 1600/-रूपये)** से दण्डित किया जाता है।

दिनांक:01-05-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE.UP3676)

उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में अभियुक्तगण को सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक:01-05-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE.UP3676)

Transcribed on :A. Ali.